राजस्थान सरकार

(कार्य)ालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा जिला–भीलवाडा

(पी)ठासीन अधिकारी :– बन्शी धर योगी आर०ए०एस०

(मुक)दमा संख्या :– 208/2024 पु० पत्र

1. पवन कंवर W/o मानसिंह राजपूत नि० दरीबया – तह० करेड़ा

प्रार्थी

बनाम

1. गिरधारीसिंह S/o रेकमसिंह राजपूत नि० दरीबया – तह० करेड़ा – आदि

विपक्षीगण.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0भू0रा0अधि0 1956

:: आदेश :: **दिनांक 18/6/24**

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0भू0राज0अधि0 1956 के तहत प्रस्तुत निवेदन किया कि ग्राम दरीबया पटवार हल्का दरीबया तहसील करेड़ा में उसके खाते/संयुक्त (खा)तों की खाता संख्या ..... आराजी नम्बर 1249/1, 1251/6, 1611/1246, ... कुलकिता 3 रकबा 1.7706 हैक्टेयर भूमि (स्थि)त है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन (सी)मा सबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/ संयुक्त खातें की भूमि की (प)त्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 12.6.24 को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण को (अव)लोकनार्थ से यह बात सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एंव कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी (क)राने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा–फैरी (हो)ने का अदेंशा नही है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इनत तथ्यों का देखते (हु)ये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम .... दरीबया पटवार हल्का दरीबया तहसील करेड़ा में स्थित खाता संख्या (व) आराजी नम्बर 1249/1, 1251/6, 1611/1246, ... कुलकिता 3 रकबा 1.7706 हैक्टेयर भूमि (के) चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू– अभिलेख निरीक्षक. करेड़ा को 700/— /– रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर (फी)स प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौंके व (क)ब्जे की यथास्थिति को बनायें रखते हुये मुस्तकील चिन्ह को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल (ख)ड़ी होने पर पत्थरगढी नही की जावे।

(संल)ग्नः– प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि

Signature Not Verified
Digitally signed by Banshi Dhar Yogi
Date: 2024.06.25 12:48:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

(प्र)तिलिपि :– तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार (प)त्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर
करेड़ा जिला भीलवाड़ा